प्रकाशन हेतु अनुमोदित

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर

दा.अ.क्र. 803/2000

पुरुषोत्तम पिता धनेश राम ग्राउंड, उम्र लगभग 35 वर्ष, निवासी दंडपाणि कुनकुरी थाना पत्थलगांव जिला रायगढ़ मध्यप्रदेश।

-----अपीलार्थी

बनाम

मध्य प्रदेश राज्य

------- प्रत्यर्थी

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374 के अंतर्गत अपील का ज्ञापन

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दोषसिद्धि	दंड
भारती दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत	आजीवन कारावास व 5000 का जुर्माना / अदा न करने पर 1 वर्ष का कारावास।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दा.अ.क्र. 803/2000

पुरुषोत्तम

बनाम

मध्य प्रदेश राज्य (अब छत्तीसगढ़)

गणपूर्ति : माननीय न्यायमूर्ति श्री एल.सी. भादू
माननीय न्यायमूर्ति श्री दिलीप रावसाहेब देशमुख

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपीलार्थी की ओर से : श्री अभय तिवारी अधिवक्ता
राज्य की ओर से : श्री सचिन सिंह राजपूत और श्री अखिल मिश्रा, पैनल अधिवक्ता

आदेश

1) आरोपी अपीलकर्ता को दिनांक 28.09.1997 को लगभग 01.30 बजे ग्राम कछार, आरक्षी केंद्र पत्थलगांव में संतोषी बाई की हत्या करने के लिए धारा 302 भा.द.स के तहत दोषी ठहराया गया है और आजीवन कारावास की दण्ड पारित किया गया गई है। आक्षेपित निर्णय श्री ए.के.समंत्रे, द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ द्वारा सत्र विचारण संख्या 33/98 में सुनाया गया।

2) इसमें कोई विवाद नहीं है कि कौशल्या बाई अ.सा.5 मृतक की मां है।

3) अभियोजन पक्ष की कहानी संक्षेप में यह है कि संतोषी बाई उम्र लगभग 20 वर्ष विवाहित थी तथा अपनी मां कौशल्या बाई अ.सा.5 के साथ रह रही थी। 28.9.1997 को संतोषी बाई दोपहर लगभग 12 बजे काम से घर लौटी। अपीलकर्ता लालजी सिंह अ.सा.8 के साथ कौशल्या बाई अ.सा.5 के साथ घर में मौजूद था। अपीलकर्ता ने नीले रंग की शर्ट

और काले रंग की फुल पैंट पहन रखी थी। लालजी सिंह अ.सा.8 ने संतोषी बाई से कहा कि वह उसकी शादी अपीलकर्ता पुरुषोत्तम से करवा देगा। इससे संतोषी बाई नाराज हो गई और वह नहाने के लिए घर से कुएं की ओर चली गई। अपीलकर्ता ने लालजी सिंह को शराब खरीदने के लिए भेज दिया तथा कुएं की ओर चला गया, जहां संतोषी नहाने गई थी। अपीलकर्ता ने संतोषी को जबरन घसीटा, उसके कपड़े उतारे तथा उसके साथ बलात्कार किया। इसके बाद अपीलकर्ता ने संतोषी बाई का गला घोंट दिया और उसके शव को कुएं में फेंक दिया। घटना के दौरान संतोषी बाई ने विरोध किया जिससे अपीलकर्ता के शरीर पर चोटें आईं।

4) कुमारी बाई अ.सा. 6 ने अपीलकर्ता को संतोषी को कुएं के पास घसीटते हुए देखा और बुडू अ.सा. 13 को सूचित किया, जिसने कौशल्या बाई अ.सा. 5 को सूचित किया। कौशल्या बाई घटनास्थल पर गई और देखा कि संतोषी बाई की साड़ी कुएं के पानी में तैर रही थी। संतोषी का शव पानी के अंदर से निकाला गया। वह नग्न थी। उसका साया, ब्लाउज, हेयर बैंड और अपीलकर्ता की नीली शर्ट भी कुएं से निकाली गई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5) बलराम अ.सा.1 ने पुलिस स्टेशन पत्थलगांव में मर्ग सूचना प्रदर्श.पी.3 दर्ज कराई। स्टेशन हाउस ऑफिसर श्री डी.पी.ठाकुर अ.सा. 14 ने घटनास्थल पर जाकर देहाती नालिशी प्रदर्श.पी.15 लिखी और प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श.पी.16 के तहत धारा 302 भा.द.स के तहत अपराध दर्ज किया। संतोषी बाई के शव का पंचनामा प्रदर्श.पी.7 तैयार किया गया और शव को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा गया। डॉ. जे. मिंज अ.सा.9 जिन्होंने शव परीक्षण किया, ने निम्नलिखित चोटें पाईं:

1) गर्दन के दाहिनी ओर 1/2" x 1/2" आकार का एक घर्षण ।

2) गर्दन के दाहिनी ओर घुमावदार घर्षण जिसका आकार 1/2" x 1/2" है।

3) गर्दन के बायीं ओर रैखिक घर्षण 1 सेमी. x 1/2 सेमी ।

4) ठोड़ी पर घर्षण का आकार 1 1/2" सेमी x 1" x 1/4" ।

5) दाहिने टखने के जोड़ पर घर्षण 2" x 1" x 1/4" ।

6) पीछे की तरफ बाएं स्कैपुलर क्षेत्र पर घर्षण, आकार 1 1/2" X 1 1/2" X 1/4" ।

7) डॉक्टर की राय में उपरोक्त सभी चोटें मृत्युपूर्व प्रकृति की थीं। दोनों फेफड़े बंद थे; ह्यॉयड हड्डी टूटी हुई थी। होंठ नीले थे, जीभ सूजी हुई, चोटिल और गहरे रंग की तथा उभरी हुई थी, हाथ भींचे हुए थे, मल निकला हुआ था। नाखून नीले पड़ गए थे। गर्दन सूजी हुई थी। डॉक्टर की राय में चोटें कठोर और कुंद वस्तु से लगी थीं, सिवाय चोट क्रमांक 1 से 4 के जो नाखूनों से लगी थीं। उनकी राय में संतोषी बाई की मौत गला घोंटने के कारण दम घुटने से हुई और मृत्यु हत्यात्मक थी।

6) दिनांक 28.9.1997 को जब्ती प्रदर्श 5 के अनुसार साया, ब्लाउज, एक पॉलिएस्टर साड़ी तथा एक पूरी आस्तीन की नीली शर्ट जिसकी आस्तीन का दाहिना भाग फटा हुआ था, कुएं से बरामद की गई। उपनिरीक्षक डी.पी.ठाकुर अ.सा. 14 द्वारा कुएं के पास से साबुन, साबुनदानी, नहाने का ब्रश तथा एक पीला फुंदरा बरामद किया गया। पंचनामा प्रदर्श 7 की तैयारी के दौरान पाया गया कि संतोषी बाई की योनि से रक्तस्राव हो रहा था। योनि स्लाइड तैयार की गई तथा अपीलकर्ता के अंडरवियर (चड्डी) के साथ रासायनिक परीक्षण के लिए भेजी गई जिसे प्रदर्श 6 के अनुसार जब्त किया गया। रासायनिक परीक्षण में अपीलकर्ता के अंडरवियर पर शुक्राणुओं की उपस्थिति की पुष्टि हुई, लेकिन मृतक संतोषी बाई की योनि स्लाइड पर नहीं। जांच पूरी होने के बाद आरोपी अपीलकर्ता पर धारा 302 द.प्र.सं के तहत मुकदमा चलाया गया। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धरमजयगढ़ द्वारा मामले को सुपुर्द किए जाने पर सत्र परीक्षण संख्या 33/98 शुरू हुआ। आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। अभियोजन पक्ष द्वारा 18 साक्षियों का परिक्षण कराया । आरोपी ने बचाव में साईनाथ सिंह ब.सा. 1 की जांच की।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7) विचारण न्यायालय ने अभियोजन पक्ष के साक्ष्य पर विश्वास किया, अपीलकर्ता को दोषी ठहराया और अनुच्छेद 1 (पूर्वोक्त) में दिखाए अनुसार सजा सुनाई।

8) अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने मुख्यतः यह तर्क दिया है कि कुमारी बाई अ.सा.6 ने अनुच्छेद 4 में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि उसने पुलिस को यह नहीं बताया कि उसने आरोपी अपीलार्थी को संतोषी बाई को कुएं के पास घसीटते हुए देखा था, बल्कि केवल इतना कहा था कि उसने एक लड़के को एक लड़की को घसीटते हुए देखा था। पुलिस ने उसे उस लड़के या लड़की की पहचान के लिए नहीं बुलाया। यह गवाही यह दर्शाती है कि कुमारी बाई ने अपीलार्थी को नहीं पहचाना। कोई अन्य प्रत्यक्षदर्शी गवाह नहीं है। अपीलार्थी और लालजी सिंह कौशल्या बाई अ.सा.5 के घर से एक साथ निकले थे, इसलिए लालजी सिंह अ.सा.8 भी अपराध का अपराधी हो सकता है। अभियोजन पक्ष द्वारा जिन परिस्थितियों पर भरोसा किया गया, वे पूरी तरह से स्थापित नहीं थीं और अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य आरोपी की निर्दोषता की परिकल्पना को खारिज नहीं करते थे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9) दूसरी ओर, विद्वान सरकारी अधिवक्ता ने विचारण न्यायालय के फैसले का समर्थन किया और तर्क दिया कि संतोषी बाई की हत्या का तथ्य, लालजी सिंह द्वारा संतोषी बाई की अपीलकर्ता से शादी कराने का साक्ष्य, मृतक के साथ घर में अपीलकर्ता की उपस्थिति, जिससे मृतक नाराज था, कुएं से अपीलकर्ता की नीली शर्ट की बरामदगी, जुगेश्वर अ.सा.2 की गवाही जिसने अपीलकर्ता को कुएं के पास देखा था और यह तथ्य कि आरोपी अपीलकर्ता को भी घटना के दौरान चोटें आई थीं, अभियोजन पक्ष द्वारा पूरी तरह से साबित कर दिया गया और अपीलकर्ता के अपराध को संदेह से परे स्थापित किया गया।

10) हमने अभिलेख का अवलोकन किया है और प्रतिद्वंद्वी तर्कों पर भी गहन विचार किया है।

11) परिस्थितिजन्य साक्ष्य की सराहना से संबंधित कानून सर्वोच्च न्यायालय द्वारा धनंजय चटर्जी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य [(1994) 2 एससीसी 220] के मामले में निम्नानुसार निर्धारित किया गया है:

"परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित मामले में, जिन परिस्थितियों से दोष का निष्कर्ष निकाला जाना है, उन्हें न केवल पूरी तरह से स्थापित किया जाना चाहिए, बल्कि यह भी कि स्थापित सभी परिस्थितियाँ निर्णायक प्रकृति की होनी चाहिए और केवल अभियुक्त के दोष की परिकल्पना के अनुरूप होनी चाहिए। उन परिस्थितियों को अभियुक्त के अपराध के अलावा किसी अन्य परिकल्पना द्वारा समझाया नहीं जा सकता है और साक्ष्य की श्रृंखला इतनी पूरी होनी चाहिए कि अभियुक्त की निर्दोषता के अनुरूप विश्वास के लिए कोई उचित आधार न बचे।"

12) कौशल्या बाई अ.सा.5 ने बयान दिया है कि घटना दिनांक को संतोषी बाई दोपहर को काम से लौटी तो लालजी सिंह अ.सा.8 और अपीलकर्ता पुरुषोत्तम शराब पीकर उसके घर पर आकर बैठे थे। उसने स्पष्ट रूप से कहा है कि अपीलकर्ता पुरुषोत्तम नीले रंग की शर्ट और काले रंग की पैंट पहने हुए था। लालजी सिंह ने कहा था कि उसने संतोषी बाई के लिए दूल्हा खोजा था जिससे संतोषी बाई नाराज हो गई और साबुन लेकर कुएं पर नहाने चली गई। लालजी सिंह भी घर से चला गया और कुछ देर बाद अपीलकर्ता भी यह कहकर चला गया कि वह घर जा रहा है। कुछ देर बाद बुद्धू, बलराम और जुगे से सूचना मिलने पर कि कुछ कपड़े पानी में तैर रहे हैं, वह कुएं के पास गई तो देखा कि साड़ी और फुंदरा कुएं में तैर रहे थे। कुएं के पास घसीटने के निशान थे। इसके बाद संतोषी बाई का शव बरामद किया गया। शव नग्न था। गले, ठोड़ी, गाल, नाक और माथे पर चोटें थीं और योनि से खून निकल रहा था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13) अपीलकर्ता के अधिवक्ता ने बताया कि प्रति परीक्षण के पैराग्राफ 6 में इस गवाह ने कहा है कि उसने धारा 161 दं.प्र.सं.के तहत अपने बयान में बताया था कि लालजी सिंह ने कहा था कि उसने अपनी बेटी के लिए वर की तलाश की थी, लेकिन अगर यह बात केस डायरी कथन प्रदर्श.डी. 1 में नहीं लिखी होती तो उसे इसकी जानकारी नहीं है। हमने प्रदर्श.डी. 1 का अध्ययन किया है जिसमें यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि लालजी सिंह ने संतोषी बाई से कहा था कि वह उसकी शादी पुरुषोत्तम से करवाएगा जो उनका

"भाटो" होगा, जिससे संतोषी बाई नाराज हो गई थी। इस प्रकार हम पाते हैं कि साक्ष्य का यह हिस्सा विचारण न्यायाधीश द्वारा प्रदर्श.डी. 1 के अवलोकन के बिना दर्ज किया गया है। कौशल्या बाई अ.सा.5 की गवाही से पता चलता है कि लालजी सिंह और अपीलकर्ता पुमशोत्तम जो नीले रंग की शर्ट और काली पैंट पहने हुए थे, घर में बैठे थे जब संतोषी बाई काम से लौटी और जब लालजी सिंह की बातचीत से उसे गुस्सा आया तो वह नहाने के लिए कुएं पर चली गई और उसके तुरंत बाद अपीलकर्ता भी घर के लिए निकल गया।

14) लालजी सिंह अ.सा. 8 अपीलार्थी का संबंधी है। उसने बताया कि जिस दिन संतोषी बाई की मृत्यु हुई, उस दिन वह और अपीलार्थी पुरुषोत्तम कौशल्या के घर गए थे और उस समय कौशल्या अकेली थी। सहायक लोक अभियोजक द्वारा प्रति परीक्षण किए जाने पर उसने स्वीकार किया है कि अपने केस डायरी कथन में उसने पुलिस को बताया था कि कुछ समय बाद संतोषी वहां आई थी और उसने मजाक में कहा था कि वह पुरुषोत्तम को "भाटो" (जीजा) कहेगा, जिस पर वह नाराज हो गई थी। उसने यह भी स्वीकार किया है कि अपीलार्थी पुरुषोत्तम ने उससे शराब लाने को कहा था, जिस पर वह उसके घर चला गया था। बचाव पक्ष द्वारा प्रति परीक्षण में ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया है, जिससे उसकी उपरोक्त गवाही अविश्वसनीय हो। इस प्रकार, कौशल्या बाई अ.सा.5 की गवाही लालजी सिंह अ.सा.8 की गवाही से पुष्ट होती है कि अपीलकर्ता कौशल्या बाई के घर में मौजूद था, जब लालजी सिंह द्वारा पुरुषोत्तम को भाटो (जीजा) कहने की बातचीत ने संतोषी बाई को नाराज कर दिया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15) बलराम अ.सा.1 ने बयान दिया कि वह बुडू द्वारा सूचना दिए जाने पर कुएं के पास गया था और देखा कि एक साड़ी और फुंदरा पानी पर तैर रहे थे। जब पुलिस पहुंची तो शव कुएं से बरामद हुआ।

16) जुगेश्वर अ.सा.2 ने गवाही दी है कि बुडू से सूचना मिलने पर वह कुएं के पास गया था और अपीलकर्ता पुरुषोत्तम को कुएं के पास खड़ा देखा था। पूछने पर, 'पुरुषोत्तम खुद नहाने लगा। जब उसने कुएं के अंदर झांका तो उसने देखा कि एक साड़ी और फुंदरा

पानी पर तैर रहे थे। जहां तक इस गवाही का सवाल है कि इस गवाह ने पुरुषोत्तम को उस कुएं के पास खड़ा देखा था जिसमें साड़ी और फुंदरा तैर रहे थे, इसका प्रति परीक्षण में खंडन नहीं किया गया है। मदनराम अ.सा.3 वह गवाह है जिसे पुलिस ने फुंदरा और कपड़े बाहर निकालने के लिए कुएं के अंदर जाने को कहा था, जिस पर उसने 4 कपड़े बाहर निकाले थे जिन्हें पुलिस ने प्रदर्श.पी.5 के तहत जब्त कर लिया था। प्रति परीक्षण में, उसकी गवाही में यह सामने आया है कि उसने कुएं से एक साड़ी, पेटीकोट, ब्लाउज और शर्ट निकाली थी। प्रति परीक्षण में ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे उसके कथन पर विश्वास न किया जा सके। इस प्रकार, यह पूरी तरह से स्थापित है कि जब्ती प्रत्रक प्रदर्श पी–5 के अनुसार, कुएं से पुलिस द्वारा एक साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट और एक शर्ट जब्त की गई थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17) जांच अधिकारी डी.पी.ठाकुर अ.सा.14 की गवाही कि उन्होंने एक सूती पेटीकोट, ब्लाउज, एक पॉलिएस्टर साड़ी और एक नीले रंग की पूरी आस्तीन की शर्ट जब्त की थी, जिसकी दाहिनी आस्तीन फटी हुई थी, जब्ती प्रत्रक प्र.पी.5 के अनुसार इन वस्तुओं को कुएं से बाहर निकालने के बात की पूरी तरह से पुष्ट होती है। इस प्रकार यह पूरी तरह से स्थापित है कि अपीलकर्ता की एक नीले रंग की पूरी आस्तीन की शर्ट कुएं से बरामद की गई थी, जिसमें से संतोषी बाई का शव भी बरामद हुआ था। उन्होंने प्र.पी.7 के अनुसार संतोषी के शव का पंचनामा तैयार करने को भी साबित किया है। उन्होंने प्रति परीक्षण में कहा है कि जब वे मौके पर पहुंचे तो संतोषी का शव कुएं से बाहर निकाला गया था, जिसकी पुष्टि कौशल्या बाई अ.सा.5 की पैरा 3 में दी गई गवाही से होती है कि उन्होंने संतोषी बाई का शव कुएं से निकाला था और पाया कि वह नग्न थी।

18) कुमारी बाई अ.सा.6 उम्र लगभग 13 वर्ष ने बयान दिया है कि उसने आरोपी को संतोषी को कुएं के पास घसीटते हुए देखा था और उसने बुडू को इसकी जानकारी दी थी। हालांकि, प्रति परीक्षण में उसने बयान दिया कि उसने धारा 161 दं.प्र.सं.के तहत अपने बयान में कहा था कि उसने केवल यह देखा था कि एक लड़का एक लड़की को

घसीट रहा था, लेकिन उसने उनके नाम नहीं बताए। उसने आगे स्वीकार किया है कि चूंकि वह कुछ दूरी पर थी, इसलिए वह लड़की को पहचान नहीं पाई और उसने केवल घसीटने की आवाज सुनी थी। इस प्रकार, प्रति परीक्षण में उसका बयान उसकी गवाही को पूरी तरह से अविश्वसनीय बनाता है।

19) हमने डॉ. जे. मिंज अ.सा.9 के मेडिकल साक्ष्यों का अध्ययन किया है। डॉ. मिंज द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों को पैराग्राफ 5 (पूर्वोक्त) में विस्तार से निपटाया गया है। अपीलकर्ता के विद्वान वकील डॉ. मिंज की गवाही में कोई भी कमी नहीं ला पाए हैं, चाहे वह प्रति परीक्षण के दौरान हो या हमारे सामने बहस के दौरान और हम पाते हैं कि डॉ. जे. मिंज अ.सा.9 की गवाही संदेह से परे यह स्थापित करती है कि संतोषी की मौत गला घोंटने के कारण हुई थी और उसके शरीर पर चोटें थीं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

20) अभियोजन पक्ष ने डॉ. लक्ष्मण बनौदा अ.सा.12 से पूछताछ की, जिन्होंने यह बयान दिया कि दिनांक 29.9.97 को अपीलकर्ता–पुमशोत्तम को पुलिस स्टेशन पत्थलगांव से मेडिकल जांच के लिए भेजा गया था और जांच में उन्होंने अपीलकर्ता पर निम्नलिखित चोटें पाईं:

1) मुंह के बाएं कोने पर 1.5 सेमी x .2 सेमी का घर्षण रंग काला ।

2) छाती पर 2 सेमी. x .2 सेमी. का घर्षण।

3) दाहिने अग्रबाहु के पार्श्व भाग पर 1 सेमी. x .2 सेमी. का घर्षण।

4) दाहिनी कोहनी पर 3 सेमी लम्बा घर्षण।

उन्होंने कहा कि अपीलकर्ता को लगी चोटें नाखून से खरोंचने या दांतों से काटने के कारण हो सकती हैं। हमने डॉ. लक्ष्मण बनोदा अ.सा. 12 की गवाही का अध्ययन किया है और पाया है कि प्रति परीक्षण में यह पूरी तरह से निराधार है। यह दर्शाता है कि मृतक ने अपीलकर्ता को नाखूनों से खरोंचा होगा जब अपीलकर्ता ने उसे घसीटा, उस पर दबाव डाला और उसका गला घोंटा।

21) इस प्रकार, पूर्वगामी चर्चा से हम पाते हैं कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य की श्रृंखला में निम्नलिखित लिंक अभियोजन पक्ष द्वारा पूरी तरह से स्थापित किए गए हैं।

i) अपीलार्थी नीली शर्ट पहने हुए घटना दिनांक को दोपहर में लालजी सिंह अ.सा. 8 के साथ संतोषी बाई के घर गया था।

ii) संतोषी बाई के काम से लौटने पर लालजी ने कहा था कि अपीलकर्ता संतोषी के लिए भावी दूल्हा है, जिससे वह नाराज हो गई और कुएं पर नहाने चली गई।

iii) उसके बाद लालजी सिंह अ.सा.8 अपने घर लौट आया था।

iv) अपीलकर्ता ने कौशल्या बाई अ.सा.5 के घर को भी छोड़ दिया और उसके तुरंत बाद जुगेश्वर अ.सा.2 ने उसे कुएं पर देखा और उस समय जुगेश्वर ने कुएं के अंदर साड़ी और फुंदरा को तैरते हुए देखा था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

v) संतोषी बाई की गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी। उसका शरीर नग्न था और उस पर चोटें लगी थीं।

vi) अपीलकर्ता की एक नीली शर्ट जिसकी दाहिनी बांह फटी हुई थी, उसी कुएं से बरामद की गई, जहां से संतोषी का शव, उसका साया, ब्लाउज और साड़ी बरामद की गई थी।

vii) अपीलकर्ता को छाती, चेहरे और दाहिने कंधे और दाहिनी कोहनी पर चोटें आई थीं। यह इस तथ्य से भी मेल खाता है कि कुएं से बरामद नीली शर्ट की दाहिनी आस्तीन फटी हुई थी।

viii) धनंजय चटर्जी मामले (पूर्वोक्त) में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को ध्यान में रखते हुए, हम पाते हैं कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य की श्रृंखला में उपरोक्त पूर्णतः स्थापित कड़ियाँ निर्णायक प्रकृति की हैं और केवल अभियुक्त के दोष की परिकल्पना के अनुरूप हैं। इन स्थापित कड़ियों को अभियुक्त के दोष के अलावा किसी अन्य परिकल्पना द्वारा स्पष्ट नहीं किया जा सकता है और

परिस्थितिजन्य साक्ष्य की श्रृंखला इतनी पूर्ण है कि यह अभियुक्त अपीलकर्ता की निर्दोषता के अनुरूप विश्वास के लिए कोई आधार नहीं छोड़ती है।

22) अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पर विचार करने के पश्चात, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि विचारण न्यायालय ने आरोपी अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत दोषी ठहराते हुए सही निर्णय दिया है। हमें इस अपील में कोई योग्यता नहीं दिखी, इसलिए हम इसे खारिज करते हैं।

सही/–
एल सी भादू
न्यायाधीश

सही/–
दिलीप राव साहब देशमुख
न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By SrijanShrivastava,Advocate